मुख्य अभियंता (पटना) का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक–भवन / मु0अभि0(पटना)यो0विविध 8–149 / 2017 195 दिनांक 19.1.18

प्रेषक,

कश्यप कुमार गुप्ता,
मुख्य अभियंता (पटना)

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता, (यांत्रिक सहित),
पटना उपभाग,
भवन निर्माण विभाग, पटना।

विषयः– सरकारी भवनों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में जलापूर्त्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय ज्ञापांक 533(भ) दिनांक 16.01.2018 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि संलग्न पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में सरकारी भवनों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में जलापूर्त्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन से संबंधित कार्यों का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

19/01/18

(कश्यप कुमार गुप्ता)
मुख्य अभियंता (पटना)

पत्रांकः-भवन/स्था०-1-विविध-969/2012....................../

(20)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

रवि शंकर चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सचिव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः-

विषयः- सरकारी भवनों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में जलापूर्त्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकारी भवनों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में जलापूर्त्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन के संबंध में दिनांक-16.01.2018 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा भाग लिया गया। उक्त बैठक में आपसी सहमति से निर्णय लिया गया कि उच्च प्रवाही नलकूप (जिसमें दो या इससे उपर के अश्वशक्ति के मोटर पम्प अधिष्ठापित है), पम्प गृह तथा जलमीनार एवं इससे निर्गत डिलेवरी पाईप के स्लूईस वल्व तक का अनुरक्षण एवं रख-रखाव सहित सभी कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा किया जायेगा एवं स्लूईस वल्व के बाद जलापूर्त्ति, पाईप लाईन का अनुरक्षण एवं रख-रखाव का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। इस निर्णय पर मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुरोध है कि उक्त निर्णय के आलोक में कि सरकारी भवनों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में जलापूर्त्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन से संबंधित कार्यों का कार्यान्वयन कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(रवि शंकर चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः- 533 (भ)　　　　पटना, दिनांकः- 16/1/18

प्रतिलिपिः-अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/मुख्य अभियंता (पटना)/मुख्य अभियंता (दक्षिण)/मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि अपने स्तर से तत्संबंधी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।